भारत दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

प्लेटफ़ॉर्म सेवाओं के लिए विनियामक तंत्र

पर

परामर्श पत्र

23 जून 2014

महानगर दूरसंचार भवन
जवाहर लाल नेहरू मार्ग
नई दिल्ली–110002
वेबसाइटः www.trai.gov.in

हितधारकों से परामर्श पत्र पर लिखित टिप्पणियाँ 14 जुलाई 2014 तक आमंत्रित हैं। प्रत्योत्तर टिप्पणियाँ, यदि कोई हों, को 21 जुलाई 2014 तक जमा किया जा सकता है। टिप्पणियों और प्रत्योत्तर टिप्पणियों को, पसन्दीदा रूप से इलेक्ट्रॉनिक रूप में, ई–मेलः **asen@trai.gov.in** या **sapnatrai@gmail.com** पर श्री अग्नेश्वर सेन, सलाहकार (बीएंडसीएस), भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को भेजा जा सकता है। किसी भी स्पष्टीकरण/ जानकारी के लिए टेलीफ़ोन संख्याः **+91-11-23234367; फैक्सः +91-11-23220442** पर श्री अग्नेश्वर सेन, सलाहकार (बीएंडसीएस) से संपर्क किया जा सकता है। टिप्पणियों और प्रत्योत्तर टिप्पणियों को ट्राई की वेबसाइट **www.trai.gov.in** पर प्रकाशित किया जाएगा।

अस्वीकरण

'यह दस्तावेज मूल रूप से अंग्रेजी दस्तावेज का हिंदी अनुवाद है।
यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है, तो अंग्रेजी का दस्तावेज मान्य होगा ।

विषय–सूची

परिचय 1

अध्याय I प्लेटफार्म सेवाओं से सम्बन्धित मुद्दे 5

अध्याय II परामर्श के लिए मुद्दों का सारांश 23

परिवर्णी (एक्रोनिम्स) की सूची 26

अनुलग्नक I एमआईबी से सन्दर्भ दिनांकित 17 जनवरी 2013 27

अनुलग्नक II प्लेटफ़ॉर्म सेवाओं के लिए प्रासंगिक मौजूदा प्रावधान 31

परिचय

1. पिछले दो दशकों के दौरान, प्रसारण क्षेत्र में किसी एकल स्थलीय टीवी चैनल से बहुल–चैनल बहुल–मंच टीवी सेवाओं की दिशा में जाने का एक बदलाव आया है। आज, टीवी चैनल वितरण क्षेत्र में बहुल प्रणाली परिचालक (एमएसओ), स्थानीय केबल परिचालक (एलसीओ), डायरेक्ट–टू–होम (डीटीएच) परिचालको, हेडेन्ड–इन–द–स्काई (एचआईटीएस) और आईपीटीवी सेवा प्रदाता सम्मिलित हैं। टीवी चैनल वितरण क्षेत्र के लिए विधायी तंत्र का एक व्यापक सिंहावलोकन निम्नानुसार हैः–

क. केबल टेलीविजन वितरण क्षेत्र

सरकार ने केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अध्यादेश, 1994 को 29 सितम्बर 1994 को अधिनियमित किया जिसने केबल टीवी परिचालकों के पंजीकरण के लिए नियम स्थापित किए और प्रोग्रामिंग संहिता और विज्ञापन संहिता को प्रारम्भ किया। इसके बाद, इस अध्यादेश को 25 मार्च 1995 पर को केबल टेलीविजन नेटवर्क्स (विनियमन) अधिनियम 1995 (यहाँ से आगे "केबल टीवी अधिनियम" के रूप में सन्दर्भित किया गया) में परिवर्तित कर दिया गया। उसके बाद, ट्राई की अनुशंसाओं के आधार पर, सरकार ने केबल टीवी अधिनियम में संशोधन किया जिसने भारत में डिजिटल एड्रेसेबल केबल टीवी प्रणाली (डीएएस) के कार्यान्वयन को सक्षम किया। एक अधिसूचना दिनांकित 11 नवंबर 2011 (संशोधन दिनांकित 21 जून 2012 के साथ) ने चार चरणों में देश में डीएएस के कार्यान्वयन के लिए कार्ययोजना (रोडमैप) को निर्धारित किया। अंतिम चरण को 31 दिसंबर 2014 तक पूरा किया जाना है। डीएएस का पूर्ण कार्यान्वयन देश में एनालॉग केबल टीवी प्रणालियों के सूर्यास्त तक ले जाएगा।

ख. डीटीएच

डीटीएच प्रसारण सेवा को 2001 में देश में खोला गया था। 15 मार्च 2001 को, सरकार ने "भारत में डायरेक्ट–टू–होम (डीटीएच) प्रसारण सेवा उपलब्ध कराने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए दिशानिर्देशों" को जारी किया। वर्तमान में, देश में छह निजी डीटीएच परिचालक हैं।

ग. एचआईटीएस

सरकार ने भारत से "हेडेन्ड–इन–द–स्काई (एचआईटीएस)" प्रसारण सेवाओं को स्थापित और परिचालित करने के लिए अनुमति देने के लिए नीतिगत दिशानिर्देश 26 नवंबर 2009 को जारी किए। आज की तारीख में, दो कंपनियों को एचआईटीएस सेवा परिचालित करने के लिए अनुमति दी गई है।

घ. आईपीटीवी

आईपीटीवी दिशा निर्देशों के अनुसार, जिन्हें सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) द्वारा 8 सितंबर 2008 को जारी किया गया था, – जिन दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) के पास ट्रिपल प्ले सेवाओं को प्रदान करने का लाइसेंस है; जिन इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) का 100 करोड़ रुपए से अधिक निवल मूल्य है और जो आईपीटीवी प्रदान करने के लिए लाइसेंसधारी से अनुमतिप्राप्त हैं या कोई भी अन्य दूरसंचार सेवा प्रदाता, जो दूरसंचार विभाग (डॉट) द्वारा विधिवत प्राधिकृत हैं, वो आगे के किसी भी पंजीकरण की आवश्यकता के बिना उनके लाइसेंसों के अधीन आईपीटीवी सेवा प्रदान कर सकते हैं। इसी तरह, केबल टीवी अधिनियम के अधीन पंजीकृत केबल टीवी परिचालक किसी भी अतिरिक्त अनुमति के बिना आईपीटीवी सेवाएँ प्रदान कर सकते हैं।

2. ये टीवी चैनल वितरण प्लेटफ़ॉर्म मुख्य रूप से डाउनलिंकिंग दिशा निर्देशों के अधीन सूचना एवं प्रसारण (एमआईबी) मंत्रालय द्वारा अनुमतिप्राप्त टीवी चैनलों को पुनःप्रसारित करते हैं। 30 अप्रैल 2014 की स्थिति के अनुसार, एमआईबी ने 795 निजी उपग्रह टीवी चैनलों को अनुमति दी है, जिसमें से, 393 चैनल 'समाचार एवं समसामयिक मामलों' की श्रेणी में हैं और शेष 402 चैनल 'गैर–समाचार और समसामयिक मामलों' की श्रेणी में हैं।[1]

3. अनुमतिप्राप्त टीवी चैनलों का पुनःप्रसारण के अलावा, केबल टीवी परिचालक (एमएसओएस और/ या एलसीओएस) अपने स्वयं के स्थानीय भूमि आधारित चैनलों को भी परिचालित कर सकते हैं जो अपने स्वयं के ग्राहकों को आम तौर पर चलचित्रों, संगीत सम्बन्धित कार्यक्रमों, स्थानीय समुदाय पर आधारित कार्यक्रमों, स्थानीय समाचारों और समसामयिक मामलों को प्रदान करते हैं। केबल टीवी परिचालकों द्वारा परिचालित ये

[1] स्रोत: http://mib-nic-in/ShowhomeDocs-aspx

स्थानीय भूमि आधारित चैनल वर्तमान में किन्हीं भी विशेष दिशा निर्देशों के अधीन नहीं हैं जो कि एमआईबी के अपलिंकिंग/ डाउनलिंकिंग दिशा निर्देशों के अधीन अनुमत निजी उपग्रह टीवी चैनलों के विपरीत है।

4. इससे पहले, प्राधिकरण ने, 'केबल टीवी सेवाओं का पुनर्गठन' दिनांकित 25 जुलाई 2008 पर अपनी अनुशंसाओं में, अन्य बातों के साथ, यह अनुशंसा की थी कि एलसीओ को उनके भूमि आधारित चैनलों को प्रेषित करने की अनुमति दी जाएगी, जो प्रोग्रामिंग संहिता और विज्ञापन संहिता के अधीन होगा, जैसा कि केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और समय–समय पर एमआईबी द्वारा जारी किए गए किन्हीं भी अन्य निर्देशों में निर्धारित है। अनुशंसाओं के भाग के रूप में, एमआईबी से एलसीओ द्वारा भूमि आधारित चैनलों के प्रावधान के लिए विस्तृत दिशा निर्देशों को जारी करने का अनुरोध किया गया था।

5. एमआईबी ने, दिनांकित 17 जनवरी 2013 (अनुलग्नक I) उनके पत्र के माध्यम से, केबल टीवी परिचालकों के स्थानीय भूमि आधारित चैनलों से सम्बन्धित मुद्दों पर के रूप में ट्राई अधिनियम, 1997 (जैसा संशोधित है) की धारा 11 (1) (क) (ii), (iii) और (iv) के अधीन ट्राई की अनुशंसाओं की मांग की है।

6. प्रसारकों से प्राप्त टीवी चैनलों के कार्यक्रमों के पुनःप्रसारण के अलावा, डीटीएच परिचालक कुछ अन्य कार्यक्रमों को भी प्रसारित करते हैं,जो प्रसारकों से प्राप्त नहीं हैं और इस तरह एमआईबी द्वारा जारी की गई अपलिंकिंग/ डाउनलिंकिंग दिशा निर्देशों के अधीन नहीं आते हैं। इससे पहले एमआईबी ने डीटीएच सेवा प्रदाताओं द्वारा उनके ग्राहकों को पेशकश की जा रही इस तरह की प्रोग्रामिंग सेवाओं के लिए के सम्बन्ध में और साथ ही डीटीएच प्लेटफ़ॉर्म पर एफ़एम रेडियो चैनलों को ले जाने के मुद्दे पर ट्राई की अनुशंसाओं की मांग की थी। केबल टीवी और डीटीएच परिचालकों द्वारा भूमि आधारित चैनलों के पुनःप्रसारण/ वितरण से सम्बन्धित मुद्दों में अन्तर्निहित समानता के कारण से, इस परामर्श पत्र (सीपी) के दायरे को दोनों मुद्दों को सम्मिलित करने के लिए बढ़ाया गया है। इसके अलावा, यह भी ध्यान में लाया जा सकता है कि यद्यपि आईपीटीवी और एचआईटीएस परिचालक वर्तमान में डीटीएच और केबल टीवी प्लेटफ़ॉर्म की तुलना में ग्राहकों के केवल एक छोटे से भाग की सेवा करते हैं, इस पत्र में परामर्श किए गए मुद्दे इन प्लेटफार्मों पर साथ ही लागू हैं।

7. संक्षेप बताने के लिए, सभी टीवी चैनल वितरण प्लेटफ़ॉर्म परिचालक (डीपीओ), अर्थात केबल टीवी (डीएएस और एमएसओ और/ या कहीं और पर एलसीओ द्वारा कवर क्षेत्रों में एमएसओ), डीटीएच, आईपीटीवी और एचआईटीएस परिचालक, प्रोग्रामिंग सेवाओं के निश्तित तरह को परिचालित करते हैं,जो प्रत्येक प्लेटफ़ॉर्म के लिए विशिष्ट हैं और प्रसारकों से प्राप्त नहीं हैं। यहाँ से आगे, डीपीओ द्वारा की पेशकश की जा रही परन्तु प्रसारकों से प्राप्त नहीं की गई इन सभी प्लेटफ़ॉर्म विशिष्ट सेवाओं को प्लेटफ़ॉर्म सेवाओं (पीएस) के रूप में सन्दर्भित किया गया है। डीपीओ नवीन सेवाओं और उत्पाद अन्तरीकरण की पेशकश करने के लिए पीएस का उपयोग करते हैं। यह डीपीओ के लिए बिक्री करने के अद्वितीय प्रस्ताव (यूएसपी) के रूप में कार्य करता है और उनके ग्राहकों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने में उनकी मदद भी करता है। ऐसी सेवाओं का प्रावधान करने का परिणाम डीपीओ के लिए राजस्व के एक अतिरिक्त स्रोत में भी होता है क्योंकि वे न केवल उनकी सदस्यता से परन्तु इस तरह के पीएस के साथ प्रेषित विज्ञापनों से भी राजस्व अर्जित करते हैं। अधिकृत प्रसारकों द्वारा प्रसारित किए गए टीवी चैनलों के विपरीत, पीएस वर्तमान में काफी हद तक अनियमित है। पीएस चैनलों के पंजीकरण के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। पीएस पर कार्यक्रम सामग्री के बारे में कुछ चिंताओं को व्यक्त किया गया है, विशेष रूप से उनके बारे में जिन्हें केबल के माध्यम से वितरित किया जाता है। यह प्रस्ताव है कि विभिन्न डीपीओ द्वारा परिचालित किए जा रहे पीएस चैनलों के लिए किसी उचित विनियामक तंत्र को स्थानापन्न किया जाए। इसकी मंशा चिंताओं को सम्बोधित करना और सभी हितधारकों के हितों की पर्याप्त रूप से संरक्षा करना है।

8. पीएस चैनलों के लिए विनियामक तंत्र से सम्बन्धित मुद्दों की चर्चा आगामी अनुच्छेदों में की गई है। यह विनियामक तंत्र पीएस उपलब्ध कराने वाले सभी परिचालकों पर लागू होगा, चाहे वितरण का माध्यम जो भी हो।

इस परामर्श पत्र की संरचना

9. प्राधिकरण ने इस सीपी को पीएस से सम्बन्धित मुद्दों पर सभी हितधारकों की टिप्पणियों/ विचारों को मांगने के लिए जारी किया गया है, ताकि पीएस के लिए एक उचित विनियामक तंत्र को स्थानापन्न किया जा सके। अध्याय I पीएस के लिए विनियामक तंत्र से सम्बन्धित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करता है। अध्याय II परामर्श के लिए मुद्दों का संक्षेप देता है।

अध्याय I
प्लेटफ़ॉर्म सेवाओं से सम्बन्धित मुद्दे

1.1 वर्तमान में डीपीओ द्वारा पेश किए जा रहे पीएस चैनल एमआईबी के किन्हीं विशिष्ट दिशा निर्देशों के अधीन विनियमित नहीं हैं। डीपीओ उनका परिचालन उनके क्रमशः पंजीकरणों/ लाइसेंसों/ अनुबन्धों के नियमों और शर्तों की उनकी स्वयं की समझ के अनुसार करते हैं। डीपीओ द्वारा इन पीएस चैनलों के माध्यम से प्रेषित कुछ कार्यक्रम नियमित टीवी चैनलों के माध्यम से प्रेषित कार्यक्रमों के समान हैं।

1.2 एमआईबी ने उनके सन्दर्भ दिनांकित 17 जनवरी 2013 (अनुलग्नक I) में, उनके नेटवर्कों पर अन्य केबल परिचालकों के साथ समान सामग्री को साझा करके, एक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में स्थानीय चैनलों के प्रसारण के बारे में चिंता व्यक्त की है। एमआईबी के अनुसार, स्थानीय चैनल, एमआईबी से अनुमति प्राप्त किए बिना, वास्तव में राज्य/ क्षेत्रीय/ राष्ट्रीय चैनलों की तरह परिचालित हो रहे हैं, जैसे कि अनुमति निजी उपग्रह टीवी चैनल। इसलिए, एक उचित विनियामक तंत्र की आवश्यकता है।

1.3 प्राधिकरण ने अपनी अनुशंसाओं दिनांकित 25 जुलाई 2008 में, अन्य बातों के साथ अनुशंसा की थी कि एलसीओ को अपने स्वयं के भूमि आधारित चैनलों को प्रेषित करने की अनुमति दी जाए। हालांकि, डीएएस के कार्यान्वयन के साथ, केवल एमएसओ, न कि एलसीओ, प्रसारकों से संकेतों को प्राप्त कर सकते हैं। एमएसओ एलसीओ को कूटबद्ध संकेतों को प्रसारित करते हैं,जो इन्हें आगे केबल उपभोक्ताओं को वितरित करते हैं। एमएसओ से प्राप्त कूटबद्ध संकेतों को केवल उपभोक्ता के छोर पर कूटमुक्त किया जाता है। इस प्रकार, एलसीओ उनके एमएसओ से प्राप्त फीड में किसी भी चैनल को निकाल या डाल नहीं सकते हैं। एमआईबी ने उनके सन्दर्भ में उल्लेख किया गया है कि डीएएस शासन में एलसीओ स्तर पर स्थानीय चैनलों के प्रसारण के मुद्दे को देखे जाने की आवश्यकता है। **क्योंकि डीएएस वातावरण में, केवल एमएसओ हेडएंड्स पर उत्पन्न किए गए कूटबद्ध संकेतों को केबल नेटवर्क पर ले जाया जा सकता है, एलसीओ उनके स्वयं के स्थानीय भूमि आधारित चैनलों को प्रसारित करने में अब और समय तक सक्षम नहीं होंगे।**

1.4 एक चर्चा हुई है कि क्या पीएस चैनलों को एक पारंपरिक अर्थ में एक प्रसारण 'चैनल' के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए या क्या उनको उपभोक्ताओं की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार मूल्यवर्धित सेवाओं (वीएएस) के रूप में वर्गीकृत किया जाना और माना जाना चाहिए। यह तर्क भी दिया गया है कि डीपीओ द्वारा इस तरह की सेवाओं की गैर–विनियमित आपूर्ति नियमित टीवी चैनलों के क्षेत्र में घुसपैठ कर रही है। जिस पल डीपीओ अधिकृत टीवी प्रसारकों के क्षेत्र में अतिक्रमण करते हैं, प्रसारकों और वितरकों के बीच भेद लुप्त हो जाएगा। इसलिए, ऐसी सेवाओं का नियमित टीवी प्रसारण से अलग के रूप से भेद करना आवश्यक है।

1.5 प्रसारित टीवी चैनलों को सामान्य रूप से सामग्री के किसी रेखीय समय कार्यक्रमबद्ध वाली एक धकेलने (पुश) की विधि में निरंतर फैलाने के द्वारा लक्षणीकृत किया जाता है और उन्हें डीपीओ के माध्यम से सभी ग्राहकों के लिए सामान्य वितरण के लिए अपलिंक किया जाता है। जब कि कई मामलों में पीएस चैनल सामग्री को खींचने (पुल) की विधि में फैलाते हैं, जो उपभोक्ताओं की किसी विशिष्ट आवश्यकता या मांग से एक पारस्परिक क्रिया के ढर्रे में चालू होता है। पीएस चैनल आमतौर पर केवल किसी विशेष डीपीओ के ग्राहकों के लिए उपलब्ध हैं। कई मामलों में, पीएस चैनलों के माध्यम से प्रस्तुत किए गए कार्यक्रम नियमित टीवी चैनल के कार्यक्रमों से विषय–वस्तु की दृष्टि से अलग हैं।

प्लेटफ़ॉर्म सेवा (पीएस) की परिभाषा

1.6 जब हम पीएस के लिए विनियामक तंत्र की बात करते हैं, तब विचार के लिए पहला मुद्दा 'पीएस' की परिभाषा है। ऊपर चर्चा किए गए मुद्दों को ध्यान में रखते हुए पर, 'पीएस' के लिए एक संभव परिभाषा हो सकती है:

> "प्लेटफ़ॉर्म सेवाएँ (पीएस) वितरण प्लेटफ़ॉर्म परिचालकों (डीपीओ) द्वारा उनके स्वयं के ग्राहकों के लिए अनन्य रूप से प्रेषित किए गए कार्यक्रम हैं और यह डाउनलिंकिंग दिशा निर्देशों के अधीन अनुमति प्राप्त दूरदर्शन चैनलों और टीवी चैनलों को सम्मिलित नहीं करता है।"

परामर्श के लिए मुद्दा

1. **क्या आप अनुच्छेद 1.6 में प्रस्तावित प्लेटफ़ॉर्म सेवाओं के लिए परिभाषा से सहमत हैं? यदि नहीं, तो कृपया किसी वैकल्पिक परिभाषा का सुझाव दें। कृपया अपनी प्रतिक्रिया को पूरे औचित्य के साथ विस्तार से बताएँ।**

पीएस चैनलों पर अनुमति प्राप्त कार्यक्रम

1.7 इस मुद्दे पर चर्चा करने से पहले कि किस प्रकार के कार्यक्रमों को पीएस के अधीन अनुमति दी जानी चाहिए, आइए हम वास्तविक स्थिति पर नज़र डालें। वर्तमान में पीएस चैनलों को केबल परिचालकों के स्तर पर परिचालित किया जा रहा है। पीएस में आम तौर पर संगीत, चलचित्र, समाचार, भक्ति, मनोरंजन, स्थानीय समाचार, जीवनवृत्त, सुदूर–खरीदारी (टेलीशॉपिंग), बच्चों के कार्यक्रम, धारावाहिक, वृत्तचित्र, क्षेत्रीय कार्यक्रम, स्थानीय नाटक, ज्ञानमय मनोरंजन (इन्फ़ोटेनमेंट), बाजार के समाचार, शैक्षिक, और पारस्परिक क्रिया के खेल सम्मिलित हैं। इनमें से कुछ कार्यक्रम पंजीकृत टीवी चैनलों पर प्रस्तुत किए गए कार्यक्रमों से अलग हैं, जबकि उनमें से कई समान हैं। डिजिटलीकरण ने केबल टीवी प्लेटफ़ॉर्म पर भी अधिक विशिष्टीकृत वीएएस के प्रारम्भ के लिए मार्ग प्रशस्त किया है।

1.8 डीटीएच परिचालक उनके स्वयं के ग्राहकों के लिए मांग पर चलचित्र (एमओडी) और प्रत्येक दर्शन पर भुगतान (पीपीवी) प्रकार की सेवाओं की पेशकश करते हैं। इसके अलावा, कुछ डीटीएच परिचालक कुछ अलग प्रोग्रामिंग सेवाओं को भी प्रदान करते हैं, जिनकी पेशकश पंजीकृत प्रसारण रेखीय चैनलों पर अन्यथा नहीं की जाती हैं, जैसे कि पारस्परिक क्रिया के खेल, श्रवण संगीत चैनल, पारस्परिक क्रिया के चैनल, रोजगार सूचना सेवाएँ और ई–खरीदारी।

1.9 किन प्रकारों के कार्यक्रमों को पीएस के अधीन अनुमति दी जानी चाहिए, इस मुद्दे पर आते हुए, पहला और सबसे अग्रणी है 'समाचार और समसामिक मामले' श्रेणी के कार्यक्रम। एक राय यह है कि डीपीओ के स्तर पर परिचालित किए जा रहे पीएस चैनलों को इस तरह के कार्यक्रमों को प्रेषित करने की अनुमति नहीं दी सकती है क्योंकि वे पंजीकृत टीवी चैनलों के माध्यम से पहले से ही उपलब्ध हैं और प्रकृति में संवेदनशील हैं। फिर भी, स्थिति एफ़एम रेडियो नेटवर्कों की स्थिति के समान है, अर्थात यह उपभोक्ताओं के लिए उपयोगी है कि वो किसी स्थानीय और मौजूदा जानकारी तक स्थानीय केबल नेटवर्क पर पहुँचे। कौन सी बात स्थानीय समाचारों का गठन करती है, इसके बारे में स्पष्टता लाने के लिए, निजी संस्थाओं के माध्यम से एफ़एम रेडियो प्रसारण सेवाओं के विस्तार पर नीतिगत दिशा निर्देशों (तृतीय चरण) का सन्दर्भ लिया जा सकता है, जो अन्य बातों के साथ यह प्रावधान करता है कि:

"निम्नलिखित श्रेणियों से सम्बन्धित प्रसारण को गैर–समाचार और समसामयिक मामलों के प्रसारण के रूप में माना जाएगा और इसलिए अनुमतियोग्य होगाः

(क) सजीव कवरेज को छोड़ते हुए, खेल की घटनाओं से सम्बन्धित जानकारी। फिर भी स्थानीय प्रकृति के खेल की घटनाओं की सजीव कमेन्टरियाँ टिप्पणियों अनुमतियोग्य हो सकती हैं;

(ख) यातायात और मौसम से सम्बन्धित जानकारी;

(ग) सांस्कृतिक कार्यक्रमों, उत्सवों से सम्बन्धित जानकारी और उनकी कवरेज;

(घ) परीक्षाओं, परीक्षा परिणामों, विद्यालय प्रवेशों, कैरियर परामर्श से सम्बन्धित विषयों की कवरेज;

(ञ) रोजगार के अवसरों की उपलब्धता;

(च) विद्युत, जल आपूर्ति, प्राकृतिक आपदाओं, स्वास्थ्य चेतावनियों आदि की तरह की नागरिक सुविधाओं से सम्बन्धित सार्वजनिक घोषणाएँ जैसी स्थानीय प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं;

(छ) इस तरह की अन्य श्रेणियाँ जो वर्तमान में अनुमतिप्राप्त नहीं हैं, जिनको समय–समय पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा बाद में विशेष रूप से अनुमति दी जा सकती है।"

उपरोक्त दिशा निर्देश मान्यता देते हैं कि स्थानीय स्तर पर प्रासंगिक जानकारी मीडिया जैसे कि एफ़एम रेडियो के माध्यम से फैलाए गए कुल विषय सामग्रियों का एक बहुत ही उपयोगी घटक है। यह तर्क केबल टीवी के लिए भी लागू होता है और इसलिए, इस तरह के किसी महत्वपूर्ण घटक को स्थानीय केबल टीवी पर अनुमति दिए गए समग्र कार्यक्रम मिश्रण से अनुमति न देने का कारण नहीं है। इस प्रकार, जिस एक विकल्प पर विचार किया जा सकता है, वह यह है कि उपरोक्त दिशा निर्देशों को साथ ही पीएस चैनलों के लिए अपनाया जा सकता है। समसामयिक और स्थानीय मामलों/ जानकारी पर चैनलों के अलावा, पीएस में – मांग पर चलचित्र/ वीडियो; पारस्परिक क्रिया के खेल; और शैक्षिक कार्यक्रमों पर चैनल भी सम्मिलित हो सकते हैं।

1.10 यह सुनिश्चित करने के लिए कि पीएस चैनल अपलिंकिंग/ डाउनलिंकिंग दिशा निर्देशों के अधीन अनुमति दिए गए पंजीकृत टीवी चैनलों से अलग बने रहते हैं और प्रसारकों के क्षेत्र में या तो खुलकर या छिपकर अतिचार नहीं करते हैं, कुछ प्रावधानों को पीएस चैनलों की संरचना के बारे में होना चाहिए। इसके आगे, एमआईबी और ट्राई समय–समय पर पीएस चैनलों की संरचना की समीक्षा करेगा।

परामर्श के लिए मुद्दे

2. कृपया पीएस चैनलों पर अनुमति दिए जाने वाले कार्यक्रमों से सम्बन्धित निम्नलिखित पहलुओं पर टिप्पणी प्रदान करें:

1. पीएस चैनल प्रेषित/ सम्मिलित नहीं कर सकते हैं

2.1.1 किन्हीं भी समाचारों और/ या समसामयिक मामलों के कार्यक्रमों को,

2.1.2 किसी भी प्रकृति की राजनीतिक घटनाओं के कवरेज को,

2.1.3 किसी भी कार्यक्रम को जो/ जिसे अपलिंकिंग/ डाउनलिंकिंग दिशा निर्देशों के अधीन अनुमतिप्राप्त किन्हीं भी दूरदर्शन चैनलों या टीवी चैनलों के माध्यम से प्रेषित किया जाता है/ किया गया है, धारावाहिकों और यथार्थ कार्यक्रमों (रियलिटी शो) सहित।

2.1.4 आईपीएल, रणजी ट्रॉफी, आदि जैसे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय खेल की घटनाओं/ टूर्नामेंट/ खेलों को

2. पीएस चैनल प्रेषित/ सम्मिलित कर सकते हैं

2.2.1 मांग पर चलचित्र/ वीडियो को

2.2.2 पारस्परिक क्रिया के खेलों को,

2.2.3 स्थानीय सांस्कृतिक घटनाओं और त्यौहारों, यातायात, मौसम, शैक्षणिक/ अकादमीय कार्यक्रमों (जैसे कि कोचिंग कक्षाओं) की कवरेज को, परीक्षाओं, परीक्षा परिणामों, विद्यालय प्रवेशों, कैरियर परामर्श, रोजगार के अवसरों की उपलब्धता, रोजगार के बारे में जानकारी को।

2.2.4 विद्युत, जल आपूर्ति, प्राकृतिक आपदाओं, स्वास्थ्य चेतावनियों आदि की तरह की नागरिक सुविधाओं से सम्बन्धित सार्वजनिक घोषणाओं को जैसी स्थानीय प्रशासन द्वारा प्रदान की गई हैं।

2.2.5 सजीव कवरेज को छोड़कर खेल की घटनाओं से सम्बन्धित सूचना को।

2.2.6 स्थानीय प्रकृति की खेल की घटनाओं की सजीव कवरेज को अर्थात जिला स्तर (या निचले) की टीमों के द्वारा खेली गई खेल की घटनाएँ और जहाँ किन्हीं भी प्रसारण अधिकारों की आवश्यकता नहीं है।

3. यह सुनिश्चित करने के लिए कि पीएस नियमित टीवी प्रसारकों के क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं कर रहा है, समीक्षा की आवधिकता क्या होनी चाहिए?

पीएस के पंजीकरण के लिए पात्रता मानदंड

1.11 क्योंकि पीएस चैनलों के माध्यम से प्रेषित सामग्री के लिए, निर्धारित नियमों और शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने की मुख्य जिम्मेदारी डीपीओ पर निहित रहेगी, यह आवश्यक हो जाता है कि पीएस चैनलों की पेशकश करने वाली कंपनी क़ानूनी रूप से जिम्मेदार और किसी उपयुक्त विनियामक तंत्र के अधीन पंजीकृत है।

1.12 निजी उपग्रह टीवी चैनल को परिचालित करने की अनुमति कंपनी अधिनियम के अधीन भारत में पंजीकृत कंपनियों के लिए प्रदान की जाती है। फिर भी, कोई डीपीओ एक कंपनी या एक व्यक्ति हो सकता है जो डीपीओ की प्रत्येक श्रेणी के लिए निर्दिष्ट पात्रता मानदंडों के आधार पर है। वर्तमान में, डीएएस अधिसूचित क्षेत्रों में, पीएस को किसी एमएसओ द्वारा परिचालित किया जा सकता है जो केबल टीवी अधिनियम के अधीन परिभाषा के अनुसार कोई एकल व्यक्ति या व्यक्तियों का एक संघ या व्यक्तियों का निकाय हो सकता है चाहे निगमित हो या न हो या कंपनी अधिनियम के अधीन पंजीकृत कंपनी हो। पीएस की पेशकश डीटीएच और एचआईटीएस परिचालकों द्वारा भी की जा रही है, जो कंपनी अधिनियम के अधीन पंजीकृत कंपनियाँ हैं।

1.13 आईपीटीवी सेवाओं के बारे में, आईपीटीवी परिचालक एक कंपनी होगी, यदि सेवाओं की पेशकश किसी टीएसपी द्वारा की जाती है। जब आईपीटीवी सेवाओं की पेशकश किसी केबल टीवी परिचालक द्वारा की जाती है, तब यह एक कंपनी या एक एकल व्यक्ति हो सकता है।

1.14 इस प्रकार, डीपीओ की सभी श्रेणियों, एमएसओएस के अलावा, को कंपनी अधिनियम के अधीन कंपनी के रूप में पंजीकृत होना पहले से ही आवश्यक है। एमआईबी के साथ पंजीकृत एमएसओएस के बीच में भी, उनमें से ज्यादातर पंजीकृत कंपनियाँ हैं।

1.15 सभी डीपीओ की क़ानूनी स्थिति में एकरूपता सुनिश्चित करने का एक रास्ता यह है कि पीएस की पेशकश करने वाले डीपीओ को कंपनी अधिनियम के अधीन भारत में पंजीकृत कंपनी अवश्य होना चाहिए।

1.16 इस सम्बन्ध में, यह टिप्पणी की गई है कि एक कंपनी के रूप में निगमित करने की प्रक्रिया को भारत में सरलीकृत किया गया है। कंपनी अधिनियम 2013 यह प्रावधान करता है कि किसी कंपनी को किसी भी

वैध उद्देश्य के लिए गठित किया जा सकता है चाहे केवल एक व्यक्ति द्वारा हो। कंपनी अधिनियम की धारा 2(62) एक व्यक्ति कंपनी को " एक कंपनी जिसमें केवल एक ही व्यक्ति एक सदस्य के रूप में है" के रूप में परिभाषित करता है। प्रक्रियात्मक सरलीकरणों को भी किया गया है और एमसीए की वेबसाइट के माध्यम से कंपनी के पंजीकरण के लिए उपलब्ध ऑनलाइन प्रणाली के साथ, प्रक्रिया बहुत त्वरित और सरल हो गई है। इस प्रकार, छोटे एमएसओ भी जो एक एकल व्यक्ति के रूप में एमआईबी के साथ पहले से ही पंजीकृत हैं, अब महती आवश्यकताओं को पूरा करे बिना कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन एक कंपनी के रूप में पंजीकृत हो सकते हैं।

परामर्श के लिए मुद्दा

4. क्या सभी डीपीओ के लिए, पीएस परिचालित करने की अनुमति दी जाने के लिए, कंपनी अधिनियम के अधीन कंपनियों के रूप में पंजीकृत किया गया होना अनिवार्य किया जाए? यदि नहीं, तो सभी डीपीओ के लिए एकरूप क़ानूनी स्थिति को सुनिश्चित कैसे करें?

पीएस चैनलों के लिए एफ़डीआई की सीमा

1.17 गैर–समाचार और समसामिक मामले' श्रेणी के टीवी चैनलों की अपलिंकिंग और चैनलों की डाउनलिंकिंग के लिए 100 प्रतिशत एफ़डीआई की अनुमति है। 'समाचार और समसामिक मामले' श्रेणी के चैनलों की लिए अपलिंकिंग के दिशा निर्देश प्रावधान करते हैं कि:–

"कंपनी में कुल प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश, पोर्टफोलियो और प्रत्यक्ष विदेशी निवेशों सहित, आवेदन के समय और अनुमति की अवधि के दौरान 26 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विदेशी निवेशों की गणना की पद्धति सरकार की विद्यमान नीति के अनुसार होगी। चैनल अपलिंक की अनुमति दी गई कंपनी, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में, अपने कंपनी सचिव के माध्यम से इस आवश्यकता के जारी अनुपालन को प्रमाणित करेगी। कंपनी में किसी भी विद्यमान या प्रस्तावित विदेशी निवेश के लिए, विदेशी निवेश संवर्धन मंडल (एफ़आईपीबी) के अनुमोदन की आवश्यकता होगी।"

1.18 "भारत में प्रसारण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेशों (एफ़डीआई)" पर अपनी अनुशंसाओं दिनांकित 22 अगस्त 2013 में, प्राधिकरण ने 'समाचार एवं समसामयिक मामलों' के टीवी चैनलों की अपलिंकिंग के लिए

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 49 प्रतिशत तक बढ़ाने की अनुशंसा की है। ये अनुशंसाएँ सरकार के विचाराधीन हैं ।

1.19 उनके सन्दर्भ[2] दिनांकित 17 जनवरी 2013 के माध्यम से, एमआईबी ने सूचित किया है कि मामले की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए, स्वचालित पथ के माध्यम से निजी उपग्रह समाचार चैनलों में विदेशी निवेश की सीमाओं को 26 प्रतिशत पर रखा गया है। फिर भी, कंपनी अधिनियम के अधीन पंजीकृत एमएसओ विदेशी निवेश की सीमाओं को 74 प्रतिशत प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें से 49 प्रतिशत भारत सरकार के संशोधित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नियमों के अधीन स्वचालित पथ के अधीन है। यदि ऐसे एमएसओ स्थानीय समाचार चैनलों को परिचालित करते हैं, तो कुछ मामलों में एफ़डीआई की सीमाएँ 26 प्रतिशत की स्वीकार्य सीमा से अधिक हो सकती है, जो एक विषम स्थिति तक ले जाता है, जिसे संबोधित किए जाने की आवश्यकता है।

1.20 फिर भी, ऐसे मामले में कि कार्यक्रमों की 'समाचार और समसामिक मामले' श्रेणी और राजनीतिक घटनाओं की कवरेज को पीएस पर अनुमतिप्राप्त कार्यक्रमों से बाहर रखा जाता है, तो पीएस को पेशकश करने के लिए डीपीओ पर विदेशी निवेश के बारे में आगे के प्रतिबंधों को लगाने की कोई आवश्यकता नहीं हो सकता है। कार्यक्रमों की 'समाचार एवं समसामयिक मामले' श्रेणी को पीएस चैनलों से बाहर रखना पिछले अनुच्छेद में चर्चा की गई विषम स्थिति को संबोधित करेगा।

परामर्श के लिए मुद्दा

5. एफ़डीआई सीमा पर विचार, यदि कोई हो?

डीपीओ का निवल–मूल्य

1.21 डाउनलिंकिंग दिशानिर्देशों के अनुसार, आवेदक कंपनी का न्यूनतम निवल–मूल्य रुपए पहले (गैर–समाचार या समाचार और समसामिक मामले) टीवी चैनल की डाउनलिंकिंग के लिए 5 करोड़ रुपए और प्रत्येक अतिरिक्त टीवी चैनल के डाउनलिंकिंग के लिए 2.5 करोड़ रुपए होना चाहिए। निवल–मूल्य की आवश्यकता आम तौर पर यह सुनिश्चित करने के लिए है कि केवल गंभीर कंपनियां (खिलाड़ी) क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। मुद्दा यह है कि

[2] इस सीपी के अनुलग्नक 1 में रखा गया

क्या न्यूनतम निवल–मूल्य की शर्त पीएस की पेशकश करने के लिए आवश्यक है विशेषकर जब इन चैनलों को मौजूदा पंजीकृत/ अनुमतिप्राप्त डीपीओ द्वारा परिचालित किया जा रहा है।

परामर्श के लिए मुद्दा

6. क्या पीएस चैनलों की पेशकश करने के लिए किसी भी न्यूनतम निवल–मूल्य की आवश्यकता होनी चाहिए? यदि हाँ, तो यह कितनी होनी चाहिए?

पीएस चैनलों की सुरक्षा मंजूरी

1.22 वर्तमान में डीपीओ के पीएस चैनलों को सुरक्षा मंजूरी की आवश्यकता नहीं है, जबकि अधिकृत निजी प्रसारकों द्वारा प्रसारित किए जा रहे टीवी चैनलों के लिए सुरक्षा मंजूरी आवश्यक है। सुरक्षा मंजूरी के बिना, इन टीवी चैनलों को एमआईबी के साथ पंजीकृत नहीं किया जा सकता है। सुरक्षा आवश्यकताओं को सम्बोधित करने में एक रूपता के लिए, यह आवश्यक माना जा सकता है कि पीएस चैनल भी उसी सुरक्षा मंजूरी के अधीन हों, जैसी निजी उपग्रह टीवी चैनलों के लिए आवश्यक है।

परामर्श के लिए मुद्दा

7. क्या आप सहमत हैं कि पीएस चैनलों को भी समान सुरक्षा मंजूरी/ शर्तों के अधीन किया जाना चाहिए, जैसी निजी उपग्रह टीवी चैनलों के लिए लागू है?

पीएस चैनलों का पंजीकरण

1.23 एमआईबी ने उनके सन्दर्भ में प्राधिकरण से इस सम्बन्ध में अपनी अनुशंसा प्रदान करने के लिए कहा है कि भूमि आधारित चैनलों के लिए पंजीयन प्राधिकारी कौन होना चाहिए और स्थानीय/ भूमि आधारित चैनलों के लिए पात्रता आवश्यकताओं, शुल्क, नियम और शर्तों, आदि सहित, किस तरह के पंजीकरण तंत्र का प्रावधान किया जाना चाहिए। अनुशंसाओं को इस तरह के चैनलों के परिचालन के क्षेत्र और भौगोलिक क्षेत्र की सीमाओं के सन्दर्भ में भी मांगा गया है।

1.24 केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 का नियम 6 (6) प्रावधान करता है कि कोई भी केबल परिचालक किसी भी ऐसे टीवी प्रसारण या चैनल को अपनी केबल सेवा में नहीं ले जाएगा या सम्मिलित

नहीं करेगा, जिसे भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर देखे जाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं किया गया है।

1.25 उपरोक्त धारा के प्रावधान के अनुसार, कोई केबल परिचालक ऐसे किसी भी टीवी प्रसारण या चैनल को प्रेषित नहीं कर सकता है, जिसे भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर देखे जाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं किया गया है। इस प्रकार, केबल परिचालक के माध्यम से प्रेषित किया जाने से पहले, केन्द्र सरकार द्वारा किसी भी टीवी प्रसारण या चैनल का पंजीकरण अनिवार्य है। फिर भी, वर्तमान में इन चैनलों/ कार्यक्रमों को, केन्द्र सरकार द्वारा पंजीकृत हुए बिना, केबल परिचालक के माध्यम से प्रेषित किया जाता है और कोई विशिष्ट विनियामक तंत्र इन चैनलों के पंजीकरण के लिए उपलब्ध नहीं है।

1.26 डीटीएच लाइसेंस अनुबन्ध के अनुसार भी, कोई भी लाइसेंसधारी किसी भी ऐसे टीवी प्रसारण या चैनल को उसकी डीटीएच सेवा में नहीं ले जाएगा या सम्मिलित नहीं करेगा, जिसे भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर देखे जाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं किया गया है। इसलिए, जिन पीएस चैनलों को डीटीएच परिचालकों द्वारा परिचालित किया जा रहा है, उनको पंजीकृत करने की आवश्यकता है।

1.27 वर्तमान में, टीवी चैनल वितरण नेटवर्क के परिचालन के लिए डीपीओ को पंजीकरण/ अनुमति एमआईबी द्वारा दी जाती है। विकल्पों में से एक यह हो सकता है कि डीपीओ द्वारा की पेशकश किए जाने वाले सभी पीएस चैनल को भी एमआईबी के साथ पंजीकृत होना चाहिए। क्योंकि डीपीओ पूरे भारत भर में फैले हुए हैं, इसलिए यह वांछनीय है कि पंजीकरण के लिए एक समयबद्ध केन्द्रीकृत ऑनलाइन प्रणाली को एमआईबी द्वारा प्रारम्भ किया जाए। यह भारत सरकार की ई–शासन की नीति के अनुसार होगा।

1.28 पीएस चैनल के पंजीकरण के समय, डीपीओ को ऐसे पीएस चैनल के माध्यम से प्रेषित किए जाने वाले कार्यक्रमों के प्रकार की घोषणा करनी चाहिए। इन कार्यक्रमों को पीएस चैनलों पर अनुमति प्राप्त कार्यक्रमों के अनुरूप होना चाहिए। कार्यक्रम के प्रकार में किसी भी बदलाव को इस तरह के बदलाव से 30 दिन पहले एमआईबी को सूचित किया जाना चाहिए।

पंजीकरण की अवधि

1.29 डाउनलिंकिंग दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रारम्भ में चैनलों की डाउनलिंकिंग के लिए अनुमति 10 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान की जाती है और अनुमति के नवीकरण पर एक समय विषय पर 10 वर्षों की अवधि के लिए विचार किया जा सकता है, जो कुछ शर्तों के अधीन है। इसी तर्ज पर, साथ ही पीएस के लिए, प्रारंभिक पंजीकरण के लिए वैधता भी 10 वर्ष हो सकती है। अनुमति के नवीकरण पर 10 वर्ष की अवधि के लिए विचार किया जा सकता है, जो ऐसी शर्तों के अनुपालन के अधीन है जिन्हें निर्धारित किया जा सकता है।

पीएस चैनलों के परिचालन के भौगोलिक क्षेत्र

1.30 एक और मुद्दा यह है कि क्या पीएस चैनल के परिचालन के भौगोलिक क्षेत्र पर कोई प्रतिबंध होना चाहिए। वर्तमान सीपी में यह प्रस्तावित किया गया है कि केवल विशिष्ट प्रकार के कार्यक्रमों को पीएस चैनलों के माध्यम से प्रसारण के लिए अनुमति दी जाए। इसमें स्थानीय स्तर के कार्यक्रम और मांग पर चलचित्र, शैक्षिक कार्यक्रम आदि सम्मिलित हैं, जो प्रकृति में स्थानीय नहीं हैं। यदि उस बात से सहमत हुआ जाता है, तब कोई व्यक्ति तर्क दे सकता है कि बाजार की शक्तियाँ स्वयं ही डीपीओ को स्थानीय स्तर के कार्यक्रमों के प्रसारण को एक निश्चित स्थानीय भौगोलिक क्षेत्र के लिए प्रतिबंधित करने को बाध्य करेंगी, क्योंकि ये कार्यक्रम देश भर में ज्यादा रुचि के नहीं हो सकते हैं। क्योंकि डीपीओ उनके क्रमशः लाइसेंस/ पंजीकरण/ अनुमति में निर्धारित किए गए प्रावधानों के अनुसार के रूप में परिचालित कर रहा होगा और पीएस की पेशकश केवल अपने ग्राहकों के लिए करेगा, इसलिए, एक विचार हो सकता है कि पीएस चैनलों के लिए भौगोलिक कवरेज पर प्रतिबंध की आवश्यकता नहीं है।

अनुमति/ वार्षिक शुल्क

1.31 डाउनलिंकिंग दिशा निर्देश निजी उपग्रह टीवी चैनलों के लिए कुछ शुल्क भी निर्धारित करते हैं। डाउनलिंकिंग दिशानिर्देशों के अनुसार, अन्य देशों से अपलिंक किए गए चैनलों को भारत में डाउनलिंक करने के लिए अनुमति की मांग करने वाली कंपनी अनुमति प्रदान करने के समय पर 10 लाख रूपए के

अनुमति शुल्क का भुगतान करेगी। इसके अलावा, कंपनी चैनलों के पंजीकरण के लिए एक अनुमति शुल्क का भुगतान निम्नानुसार करेगी: –

- भारत से अपलिंक किए गए टेलीविजन चैनल की डाउनलिंकिंग के लिए प्रति वर्ष प्रति चैनल 5 लाख रुपए।
- विदेश से अपलिंक किए गए टेलीविजन चैनल की डाउनलिंकिंग के लिए प्रति वर्ष प्रति चैनल 15 लाख रुपए।

1.32 प्रसारकों के मामले में, डाउनलिंक किए गए चैनल सभी ग्राहकों के लिए सभी डीपीओ के माध्यम से वितरण के लिए उपलब्ध हैं। फिर भी, वर्तमान परामर्श में, यह प्रस्तावित है कि पीएस चैनलों को केवल सम्बन्धित डीपीओ के ग्राहकों के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है। पीएस चैनल 'अवश्य ले जाना चाहिए' और 'अवश्य प्रदान करना चाहिए' से सम्बन्धित प्रावधानों को आकर्षित नहीं करते हैं,जो डाउनलिंकिंग दिशा निर्देशों के अधीन अनुमति प्राप्त पंजीकृत चैनलों पर लागू हैं। इसलिए, कोई व्यक्ति तर्क दे सकता है कि पीएस चैनलों के तत्काल मामले में लगाया गया शुल्क समान नहीं हो सकता है या उनसे कम हो सकता है जितना कि डाउनलिंकिंग दिशा निर्देशों के अधीन अनुमति दिए गए पंजीकृत चैनलों के लिए है।

परामर्श के लिए मुद्दे

8. एक ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से एमआईबी के साथ पंजीकृत होने के लिए पीएस चैनलों के लिए, पंजीकरण की वैधता की अवधि और प्रति चैनल वार्षिक शुल्क क्या होना चाहिए?

9. अनुमति के नवीकरण के लिए आपका प्रस्ताव क्या है?

10. क्या पीएस चैनलों के लिए भौगोलिक क्षेत्र के सन्दर्भ में कोई सीमाएँ होनी चाहिएँ? यदि हाँ, तो इन सीमाओं को क्या होना चाहिए। औचित्य के साथ अपनी प्रतिक्रिया कृपया विस्तार से बताएँ।

डीपीओ द्वारा परिचालित पीएस चैनलों की कुल संख्या पर कैप

1.33 विचार के लिए एक और मुद्दा यह है कि क्या पीएस चैनलों की कुल संख्या को सीमित करने की कोई आवश्यकता है,जिनको किसी अकेले डीपीओ द्वारा परिचालित किया जा सकता है। क्योंकि, डीपीओ को अनुमति/ पंजीकरण/ लाइसेंस प्रदान करने का प्रयोजन अपलिंकिंग/ डाउनलिंकिंग दिशा निर्देशों के

अधीन कवर किए गए टीवी चैनलों का वितरण है, यह आवश्यक है कि इन प्लेटफार्मों की वितरण क्षमता के बड़े भाग का उपयोग इच्छित प्रयोजन के लिए किया जाता है। इस वितरण क्षमता के एक छोटे से भाग का उपयोग पीएस के लिए किया जा सकता है ताकि इन डीपीओ के ग्राहकों की विशिष्ट आवश्यकता को पूरा किया जा सके। यह किसी भी एकल डीपीओ द्वारा नवाचार के लिए स्थान भी छोड़ता है।

1.34 तदनुसार, डीपीओ द्वारा पेशकश किए गए पीएस चैनलों की संख्या को सीमित करने की आवश्यकता है। इस सीमा को उस डीपीओ द्वारा पेशकश किए गए चैनलों की कुल संख्या के एक % या एक निश्चित संख्या (कहें कि 10 चैनल) या ऊपर के एक संयोजन, अर्थात पेशकश किए गए चैनलों की कुल संख्या का एक % या एक निश्चित संख्या (कहें कि 10 चैनल), इनमें से जो भी कम है, के रूप में निर्दिष्ट किया जा सकता है।

परामर्श के लिए मुद्दा

11. क्या पीएस चैनलों की संख्या पर कोई सीमा होनी चाहिए जिन्हें किसी डीपीओ द्वारा परिचालित किया जा सकता है? यदि हाँ, तो सीमा क्या होनी चाहिए?

डीपीओ के अन्य दायित्व

1.35 डीपीओ पर जिन अन्य दायित्वों को लगाया जा सकता है, उनमें एमआईबी की पूर्व अनुमति के बिना पीएस के लिए पंजीकरण की गैर–स्थानांतरणीयता, पीएस के पुनःप्रसारण के लिए अन्य वितरण नेटवर्कों के साथ परस्पर जुड़ने से निषेध अर्थात पीएस चैनल के पुनःप्रसारण को किसी और डीपीओ के साथ साझा नहीं कर सकता है या उसको अनुमति नहीं दे सकता है, कार्यक्रम और विज्ञापन संहिता और क्यूओएस और शिक़ायत निवारण, आदि से सम्बन्धित ट्राई के विनियमों का अनुपालन सम्मिलित हो सकते हैं।

परामर्श के लिए मुद्दे

12. क्या आपके पास डीपीओ पर निम्नलिखित दायित्वों/ प्रतिबंधों पर कोई टिप्पणियाँ हैं:

12.1 एमआईबी के पूर्व अनुमोदन के बिना पीएस के लिए पंजीकरण की गैर–स्थानांतरणीयता;

12.2 पीएस के पुनःप्रसारण के लिए अन्य वितरण नेटवर्कों के साथ परस्पर जुड़ने पर निषेध अर्थात किसी अन्य डीपीओ के साथ पीएस चैनल को साझा नहीं कर सकता है या उसको पुनःप्रसारण की अनुमति नहीं दे सकता है; और

12.3 कार्यक्रम और विज्ञापन संहिता और क्यूओएस और शिक़ायत निवारण से सम्बन्धित ट्राई के विनियमों का अनुपालन।

13. पीएस की पेशकश करने के लिए डीपीओ पर कौन से अन्य दायित्वों/ प्रतिबंधों को लगाए जाने की आवश्यकता है?

रेडियो चैनलों का पुनःप्रसारण

1.36 डीटीएच सेवाओं के लिए दिशा निर्देश, वर्तमान में, रेडियो चैनलों को ले जाने को विशेष रूप से सक्षम नहीं करते हैं। फिर भी कुछ डीटीएच परिचालक उनकी पेशकश कर रहे हैं। एफ़एम रेडियो चैनलों के परिचालन के लिए अनुमति को शहर–वार प्रदान किया जाता है। प्रौद्योगिकी की प्रगति के साथ, यह देखा गया है कि कुछ एफ़एम परिचालक ओवर–द–टॉप (ओटीटी) सेवा के रूप में इंटरनेट के माध्यम से अपने रेडियो चैनलों का पुनःप्रसारण कर रहे हैं। इंटरनेट पर इन चैनलों की उपलब्धता,उनको कहीं भी कभी भी के आधार पर उपभोक्ताओं के लिए पहँचने योग्य बनाती है। मुद्दा यह है कि क्या रेडियो चैनलों को डीपीओ द्वारा ले जे जाने की अनुमति दी जानी चाहिए और क्या इस तरह की सेवाओं के लिए विनियामक तंत्र होना चाहिए।

परामर्श के लिए मुद्दा

14. क्या डीपीओ को एफ़एम परिचालक के साथ उपयुक्त व्यवस्था के अधीन पहले ही अनुमतिप्राप्त और परिचालन हो रहे एफ़एम रेडियो चैनलों को पुनःप्रसारित करने की अनुमति दी जानी चाहिए? यदि हाँ, तो क्या एफ़एम रेडियो चैनलों की संख्या पर, सहित, कोई भी प्रतिबंध होने चाहिए,जिन्हें किसी डीपीओ के द्वारा पुनःप्रेषित किया जा सकता है?

निगरानीकरण

1.37 पीएस चैनल के सम्बन्ध में किन्हीं भी विनियमों/ कार्यक्रम संहिता/ विज्ञापन संहिता/ दिशा निर्देशों/ अधिनियमों के उल्लंघन के लिए सम्बन्धित डीपीओ को पूरी तरह जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए।

1.38 निजी उपग्रह टीवी चैनलों की सामग्री की केन्द्रीय रूप से निगरानी करने के लिए क्रियाविधियाँ हैं। डाउनलिंकिंग दिशानिर्देशों के अनुसार, आवेदक कंपनी डाउनलिंक किए गए कार्यक्रमों का एक रिकार्ड 90 दिनों की अवधि के लिए रखेगी और सरकार की किसी भी संस्था के सामने प्रस्तुत करेगी, जैसे भी और जब भी आवश्यकता पड़े। इसके अलावा, आवेदक कंपनी एमआईबी या किसी अन्य सरकारी संस्था के प्रतिनिधियों के द्वारा कार्यक्रमों या सामग्री की निगरानी करने के लिए अपने व्ययों पर आवश्यक निगरानीकरण सुविधा प्रदान करेगी, जैसे भी और जब भी आवश्यकता पड़े। फिर भी, ऐसी कोई क्रियाविधि पीएस के मामले में स्थानापन्न नहीं है। इसलिए विचार के लिए मुख्य मुद्दा यह है कि ऐसे चैनलों की सामग्री पर निगरानी करने के लिए क्रियाविधि क्या होनी चाहिए।

1.39 एमआईबी की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, निजी टेलीविजन चैनलों के लिए निगरानी समिति राज्य और जिला स्तरों पर विद्यमान है और समिति का दायरा निम्नानुसार हैः

i) एक मंच प्रदान करना,जहां जनता केबल टेलीविजन पर प्रसारित की गई सामग्री के बारे में कोई शिक़ायत दर्ज कर सके और यहाँ पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उस पर कार्रवाई करना।

ii) केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के प्रवर्तन के लिए प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा करना।

iii) यदि कोई भी कार्यक्रम किसी भी समुदाय में सार्वजनिक व्यवस्था या व्यापक असंतोष को प्रभावित कर रहा है तो उसे राज्य और केन्द्र सरकार की जानकारी में तुरंत लाना।

iv) केबल टेलीविजन चैनलों द्वारा ले जाई गई सामग्री पर स्थानीय स्तर पर नज़र रखना और, अधिकृत अधिकारी के माध्यम से, सुनिश्चित करना कि किन्हीं भी अनधिकृत या पायरेटेड चैनलों को नहीं ले जाया जाता है और स्थानीय समाचार यदि केबल टीवी परिचालक द्वारा प्रसारित किए जाते हैं तो वो स्थानीय घटनाओं के बारे में जानकारी तक प्रतिबंधित है और किसी ऐसे तरीके से प्रस्तुत किए जाते हैं जो संतुलित निष्पक्ष और किसी भी समुदाय को ठेस पहुँचाने उत्तेजित करने की संभावना नहीं है।

v) प्रसारण के लिए निःशुल्क चैनलों और केबल नेटवर्क पर अनिवार्य ले जाने के लिए अधिसूचित किए गए चैनलों की उपलब्धता की निगरानी करना।

1.40 पीएस चैनल की निगरानी करने के लिए एक समान क्रियाविधि पर विचार किया जा सकता है, अर्थात, डीपीओ को भी अनिवार्य किया जा सकता है कि वह कार्यक्रमों का एक रिकॉर्ड 90 दिनों की अवधि के लिए रखे और उसे सरकार की किसी भी संस्था के सामने प्रस्तुत करे, जैसे भी और जब भी आवश्यकता पड़े। रोजमर्रा के आधार पर पीएस चैनल पर सामग्री की निगरानी करने के लिए, एमआईबी उपयुक्त स्तर पर निगरानी समिति(यों)/ निकाय(यों) का गठन कर सकती है।

परामर्श के लिए मुद्दा

15. पीएस चैनल की निगरानी करने के लिए क्रियाविधि का सुझाव दें।

दंडात्मक प्रावधान

1.41 विचार के लिए मुद्दा ऐसे दंडात्मक प्रावधान हैं, जिनको ऐसी घटना में लगाए जाने की आवश्यकता है, जब डीपीओ को पीएस चैनलों की पेशकश करने के लिए किन्हीं भी नियम और शर्तों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है। टेलीविजन चैनलों की डाउनलिंकिंग के लिए एमआईबी की नीति दिशा निर्देश निम्नलिखित दंडात्मक प्रावधानों का प्रावधान करते हैं:

"6.1 ऐसी घटना में जब किसी चैनल को सार्वजनिक हित या राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ असंगत किसी भी आपत्तिजनक अनधिकृत सामग्री, संदेशों, या संचार के प्रसारण के लिए उपयोग किया जा रहा/ किया गया पाया गया है या अनुच्छेद 5.8 या अनुच्छेद 5.16, अनुमति के अनुसार निर्देशों का अनुपालन करने में विफल रहता है, तो दी गई अनुमति निरस्त कर दी जाएगी और कंपनी को पांच वर्ष की अवधि के लिए किसी भी इस तरह की अनुमति को रखने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, जो अन्य लागू क़ानूनों के अधीन सज़ा के लिए देयता के अलावा है। इसके अलावा, चैनल का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगी और चैनल को पांच वर्ष की अवधि के लिए नए सिरे से पंजीकरण के लिए विचार किए जाने से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

6.2 इन दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 6.1 में निहित प्रावधानों के अधीन, ऐसी घटना में जब कोई अनुमति धारक और/ या चैनल अनुमति, या दिशा निर्देशों के किन्हीं भी अन्य प्रावधानों के नियम और शर्तों में से किसी के भी उल्लंघन कर रहा है, तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पास निम्नलिखित दंड अधिरोपित करने का अधिकार होगा: –

6.2.1 पहले उल्लंघन की घटना में, 30 दिन की एक अवधि तक कंपनी की अनुमति और/ या चैनल के पंजीकरण का निलम्बन और प्रसारित करने पर निषेध।

6.2.2 दूसरे उल्लंघन की घटना में, 90 दिन की एक अवधि तक कंपनी की अनुमति और/ या चैनल के पंजीकरण का निलम्बन और प्रसारित करने पर निषेध।

6.2.3 तीसरे उल्लंघन की घटना में, अनुमति की शेष अवधि तक कंपनी की अनुमति और/ या चैनल के पंजीकरण का निरसन और प्रसारित करने पर निषेध।

6.2.4 लगाए गए दंडों का निर्धारित समय के भीतर अनुपालन करने में अनुमति धारक की विफलता की स्थिति में, अनुमति की शेष अवधि तक कंपनी की अनुमति और/ या चैनल के पंजीकरण का निरसन और प्रसारित करने पर निषेध और पांच वर्ष की अवधि के लिए भविष्य में किसी भी नई अनुमति और/ या पंजीकरण को रखने की अयोग्यता।

6.2.5 जैसा कि अनुच्छेद 5.8, 5.16 या 6.2 में वर्णित है, उसके अनुसार अनुमति के निलम्बन की घटना में, अनुमति धारक, शुल्क के भुगतान सहित, अनुमति दिए जाने के अनुबन्ध के अधीन अपने दायित्वों का निर्वहन करना जारी रखेगा।

6.2.6 अनुमति और/ या पंजीकरण के निरस्तीकरण की स्थिति में भुगतान किए गए शुल्कों को ज़ब्त किया जाएगा।

6.2.7 उपर्युक्त सभी दंडों को अनुमति धारक को एक लिखित सूचना देने के बाद ही लगाया जाएगा।"

एक विकल्प यह हो सकता है कि पीएस चैनलों की पेशकश करने वाले डीपीओ पर भी समान दंडात्मक प्रावधानों को लागू किया जाए यदि वे उनके पंजीकरण के किन्हीं भी नियम और शर्तों का उल्लंघन करते हैं।

परामर्श के लिए मुद्दा

16. क्या आप सहमत हैं कि उनकी अनुमतियों के नियमों और शर्तों के उल्लंघन के लिए टीवी प्रसारकों पर लगाए गए दंडात्मक प्रावधानों के समान को पीएस पर भी लगाया जा सकता है? यदि नहीं, तो औचित्य के साथ वैकल्पिक प्रावधानों का सुझाव दें।

मौजूदा प्रावधानों में संशोधन

1.42 विद्यमान डीपीओ की विद्यमान अनुमतियों/ पंजीकरण/ लाइसेंस अनुबन्ध/ दिशानिर्देशों में कुछ प्रावधान हैं जो इस पत्र में परामर्श के अधीन पीएस के लिए विनियामक तंत्र के सन्दर्भ में प्रासंगिक हैं। ये प्रावधान अनुलग्नक– II में हैं। इन प्रावधानों में से कुछ सक्षम करने वाले है जबकि कुछ दूसरे प्रतिबंधित करने वाले हैं। विचार के लिए मुद्दा यह है कि पीएस चैनलों के विनियमन के लिए डीपीओ के सम्बन्ध में विद्यमान पंजीकरण/ दिशा निर्देशों/ अनुमति/ लाइसेंस अनुबन्धों में कौन से संशोधन और अतिरिक्त नियम एवं शर्तें आवश्यक हैं।

परामर्श के लिए मुद्दे

17. पीएस चैनलों के विनियमन के लिए डीपीओ के सम्बन्ध में विद्यमान पंजीकरण/ दिशा निर्देशों/ अनुमति/ लाइसेंस अनुबन्धों में कौन से संशोधन और अतिरिक्त नियम एवं शर्तें आवश्यक हैं?

नए विनियामक तंत्र को अंगीकार करने के लिए समय

1.43 यह सीपी पीएस के लिए विनियामक तंत्र से सम्बन्धित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करता है। एक बार जब एमआईबी द्वारा दिशा निर्देश जारी और लागू किए जाते हैं, तब क्षेत्र में नए प्रवेश हुई कंपनियों (खिलाड़ियों) के द्वारा और साथ ही विद्यमान कंपनियों (खिलाड़ियों) के द्वारा इन अधिनियमों का अनुपालन करना होगा। विचार के लिए मुद्दा यह है कि ऐसे मामले में कि पीएस के लिए दिशा निर्देशों/ अधिनियमों को देश में स्थापित किया जाता है, तब निर्धारित किए गए नियमों का अनुपालन करने के लिए विद्यमान डीपीओ को कितना समय दिया जाना चाहिए।

परामर्श के लिए मुद्दा

18. वह समय सीमा क्या होनी चाहिए, जो डीपीओ को विद्यमान पीएस चैनलों के पंजीकरण और उन्हें प्रस्तावित विनियामक तंत्र के अनुरूप लाने, एक बार एमआईबी द्वारा अधिसूचित कर दिए जाने पर, के लिए दी जानी चाहिए?

कोई भी अन्य मुद्दा

19. हितधारक विद्यमान विनियामक तंत्र में आवश्यक किन्हीं भी परिवर्तनों सहित, वर्तमान परामर्श से प्रासंगिक किसी अन्य मुद्दे पर अपनी टिप्पणियाँ भी प्रदान कर सकते हैं।

अध्याय II
परामर्श के लिए मुद्दों का सारांश

कृपया अपनी प्रतिक्रिया को पूर्ण और उचित औचित्य के साथ विस्तार से बताएँ।

1. क्या आप प्लेटफ़ॉर्म सेवाओं (पीएस) के लिए निम्नलिखित परिभाषा के साथ सहमत हैं? यदि नहीं, तो कृपया कोई वैकल्पिक परिभाषा का सुझाव दें:
   "प्लेटफ़ॉर्म सेवाएँ (पीएस) वितरण प्लेटफ़ॉर्म परिचालकों (डीपीओ) के द्वारा उनके स्वयं के ग्राहकों के लिए अनन्य रूप से के माध्यम से प्रेषित कार्यक्रम हैं और इनमें डाउनलिंकिंग दिशा निर्देशों के अधीन अनुमतिप्राप्त दूरदर्शन चैनल और टीवी चैनल सम्मिलित नहीं हैं।"

2. कृपया पीएस चैनलों पर अनुमति दिए जाने वाले कार्यक्रमों से सम्बन्धित निम्नलिखित पहलुओं पर टिप्पणी प्रदान करें:
   1. पीएस चैनल प्रेषित/ सम्मिलित नहीं कर सकते हैं
      2.1.1 किन्हीं भी समाचारों और/ या समसामयिक मामलों के कार्यक्रमों को,
      2.1.2 किसी भी प्रकृति की राजनीतिक घटनाओं के कवरेज को,
      2.1.3 किसी भी कार्यक्रम को जो/ जिसे अपलिंकिंग/ डाउनलिंकिंग दिशा निर्देशों के अधीन अनुमतिप्राप्त किन्हीं भी दूरदर्शन चैनलों या टीवी चैनलों के माध्यम से प्रेषित किया जाता है/ किया गया है, धारावाहिकों और यथार्थ कार्यक्रमों (रियलिटी शो) सहित।
      2.1.4 अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय खेल की घटनाओं/ टूर्नामेंट/ खेलों जैसे आईपीएल, रणजी ट्रॉफी, आदि ।

   2. पीएस चैनल प्रेषित/ सम्मिलित कर सकते हैं
      2.2.1 मांग पर चलचित्र/ वीडियो को
      2.2.2 पारस्परिक क्रिया के खेलों को,
      2.2.3 स्थानीय सांस्कृतिक घटनाओं और त्यौहारों, यातायात, मौसम, शैक्षणिक/ अकादमीय कार्यक्रमों (जैसे कि कोचिंग कक्षाओं) की कवरेज को, परीक्षाओं, परीक्षा परिणामों, विद्यालय प्रवेशों, कैरियर परामर्श, रोजगार के अवसरों की उपलब्धता, रोजगार के बारे में जानकारी को।

2.2.4 विद्युत, जल आपूर्ति, प्राकृतिक आपदाओं, स्वास्थ्य चेतावनियों आदि की तरह की नागरिक सुविधाओं से सम्बन्धित सार्वजनिक घोषणाओं को जैसी स्थानीय प्रशासन द्वारा प्रदान की गई हैं।

2.2.5 सजीव कवरेज को छोड़कर खेल की घटनाओं से सम्बन्धित सूचना को।

2.2.6 स्थानीय प्रकृति की खेल की घटनाओं की सजीव कवरेज को अर्थात जिला स्तर (या निचले) की टीमों के द्वारा खेली गई खेल की घटनाएँ और जहाँ किन्हीं भी प्रसारण अधिकारों की आवश्यकता नहीं है।

3. यह सुनिश्चित करने के लिए कि पीएस नियमित टीवी प्रसारकों के क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं कर रहा है, समीक्षा की आवधिकता क्या होनी चाहिए?
4. क्या सभी डीपीओ के लिए, पीएस परिचालित करने की अनुमति दी जाने के लिए, कंपनी अधिनियम के अधीन कंपनियों के रूप में पंजीकृत किया गया होना अनिवार्य किया जाए? यदि नहीं, तो सभी डीपीओ के लिए एकरूप क़ानूनी स्थिति को सुनिश्चित कैसे करें?
5. एफ़डीआई सीमा पर विचार, यदि कोई हो?
6. क्या पीएस चैनलों की पेशकश करने के लिए किसी भी न्यूनतम निवल–मूल्य की आवश्यकता होनी चाहिए? यदि हाँ, तो यह कितनी होनी चाहिए?
7. क्या आप सहमत हैं कि पीएस चैनलों को भी समान सुरक्षा मंजूरी/ शर्तों के अधीन किया जाना चाहिए, जैसी निजी उपग्रह टीवी चैनलों के लिए लागू है?
8. एक ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से एमआईबी के साथ पंजीकृत होने के लिए पीएस चैनलों के लिए, पंजीकरण की वैधता की अवधि और प्रति चैनल वार्षिक शुल्क क्या होना चाहिए?
9. अनुमति के नवीकरण के लिए आपका प्रस्ताव क्या है?
10. क्या पीएस चैनलों के लिए भौगोलिक क्षेत्र के सन्दर्भ में कोई सीमाएँ होनी चाहिएँ? यदि हाँ, तो इन सीमाओं को क्या होना चाहिए।
11. क्या पीएस चैनलों की संख्या पर कोई सीमा होनी चाहिए जिन्हें किसी डीपीओ द्वारा परिचालित किया जा सकता है? यदि हाँ, तो सीमा क्या होनी चाहिए?
12. क्या आपके पास डीपीओ पर निम्नलिखित दायित्वों/ प्रतिबंधों पर कोई टिप्पणियाँ हैं:

    12.1 एमआईबी के पूर्व अनुमोदन के बिना पीएस के लिए पंजीकरण अहस्तान्तरणीय,

12.2 पीएस के पुनःप्रसारण के लिए अन्य वितरण नेटवर्कों के साथ परस्पर जुड़ने पर निषेध अर्थात किसी अन्य डीपीओ के साथ पीएस चैनल को साझा नहीं कर सकता है या उसको पुनः–प्रसारण की अनुमति नहीं दे सकता है; और

12.3 कार्यक्रम और विज्ञापन संहिता और क्यूओएस और शिक़ायत निवारण से सम्बन्धित ट्राई के विनियमों का अनुपालन।

13. पीएस की पेशकश करने के लिए डीपीओ पर कौन से अन्य दायित्वों/ प्रतिबंधों को लगाए जाने की आवश्यकता है?

14. क्या डीपीओ को एफ़एम परिचालक के साथ उपयुक्त व्यवस्था के अधीन पहले ही अनुमतिप्राप्त और परिचालन हो रहे एफ़एम रेडियो चैनलों को पुनःप्रसारित करने की अनुमति दी जानी चाहिए? यदि हाँ, तो क्या एफ़एम रेडियो चैनलों की संख्या पर, सहित, कोई भी प्रतिबंध होने चाहिए जिन्हें किसी डीपीओ के द्वारा पुनःप्रेषित किया जा सकता है?

15. पीएस चैनल की निगरानी करने के लिए क्रियाविधि का सुझाव दें।

16. क्या आप सहमत हैं कि उनकी अनुमतियों के नियमों और शर्तों के उल्लंघन के लिए टीवी प्रसारकों पर लगाए गए दंडात्मक प्रावधानों को पीएस पर भी लगाया जा सकता है? यदि नहीं, तो औचित्य के साथ वैकल्पिक प्रावधानों का सुझाव दें।

17. पीएस चैनलों के विनियमन के लिए डीपीओ के सम्बन्ध में विद्यमान पंजीकरण/ दिशा निर्देशों/ अनुमति/ लाइसेंस अनुबन्धों में कौन से संशोधन और अतिरिक्त नियम एवं शर्तें आवश्यक हैं?

18. वह समय सीमा क्या होनी चाहिए, जो डीपीओ को विद्यमान पीएस चैनलों के पंजीकरण और उन्हें प्रस्तावित विनियामक तंत्र के अनुरूप लाने, एक बार जब यह एमआईबी द्वारा अधिसूचित की जाएगी, के लिए दी जानी चाहिए?

19. हितधारक विद्यमान विनियामक तंत्र में आवश्यक किन्हीं भी परिवर्तनों सहित, वर्तमान परामर्श से प्रासंगिक किसी अन्य मुद्दे पर अपनी टिप्पणियाँ भी प्रदान कर सकते हैं।

परिवर्णी (एक्रोनिम्स) की सूची

संक्षिप्त रूप	विवरण
सीपी	परामर्श पत्र
डीएएस	डिजिटल एड्रेसेबल प्रणाली
डीपीओ	वितरण प्लेटफ़ॉर्म परिचालक
डीटीएच	डायरेक्ट–टू–होम
एफ़डीआई	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश
एफ़आईपीबी	विदेशी निवेश संवर्धन मंडल
एचआईटीएस	हेडेन्ड–इन–द–स्काई
आईपीटीवी	इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन
एलसीओ	स्थानीय केबल परिचालक
एमआईबी	सूचना और प्रसारण मंत्रालय
एमओडी	चलचित्र ऑन डिमांड,
एमएसओ	बहुल प्रणाली परिचालक
ओटीटी	शीर्ष पर
पीपीवी	प्रति दर्शन भुगतान
पीएस	प्लेटफ़ॉर्म सेवा
आरआईओ	सन्दर्भ इन्टरकनेक्ट ऑफर
ट्राई	भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
टीएसपी	दूरसंचार सेवा प्रदाता
यूएसपी	बिक्री करने का अद्वितीय प्रस्ताव
वीओडी	मांग पर वीडियो

अनुलग्नक I

एमआईबी से सन्दर्भ दिनांकित 17 जनवरी 2014

उदय कुमार वर्मा
सचिव
टेलीफोनः 011–23382639
फैक्सः 011–23383513

भारत सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
शास्त्री भवन, नई दिल्ली – 110001

डी.ओ.सं. 9/16/2013–बीपीएंडएल

17 जनवरी 2013

प्रिय श्री खुल्लर,

केबल टीवी परिचालकों के स्तर पर परिचालित किए जा रहे भूमि आधारित चैनलों के लिए किसी विनियामक तंत्र को स्थानापन्न करने का मुद्दा कुछ समय के लिए मंत्रालय के विचाराधीन है। एक चरणबद्ध तरीके से भारत में कार्यान्वित की जा रहे केबल टीवी क्षेत्र के डिजिटलीकरण के मद्देनजर इसका महत्व हो गया है। ये चैनल, जिन्हें लोकप्रिय रूप से स्थानीय चैनलों के रूप में जाना जाता है, वर्तमान में किसी विनियामक तंत्र के अधीन नहीं हैं,जो मंत्रालय के अपलिंकिंग/ डाउनलिंकिंग दिशा निर्देशों के अधीन अनुमतिप्राप्त निजी उपग्रह टीवी चैनलों के विपरीत है।

2. प्राधिकरण ने, **"केबल टीवी सेवाओं का पुनर्गठन करने"** पर इसकी सिफारिशों पंजीकृत में दिनांकित 25 जुलाई 2008 में, पंकीकृत केबल परिचालकों के माध्यम से स्थानीय सामग्री के प्रसारण के लिए आवश्यकता को स्वीकार किया था। यह उल्लेख किया गया है कि ये चैनल स्कूलों, विभिन्न स्थानीय निकायों के समारोहों और बाढ़ों, भूकंपों, सुनामी आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जिला प्रशासन से महत्वपूर्ण संदेशों को दिखाने में बहुत प्रभावी रहे हैं। तदनुसार, प्राधिकरण ने, अन्य बातों के साथ, अनुशंसा की थी कि स्थानीय केबल परिचालकों को उनके भूमि आधारित चैनलों को संचारित करने की अनुमति दी जानी चाहिए, जो कार्यक्रम संहिता और विज्ञापन संहिता के अधीन होगा जैसा केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और समय समय पर आईएंडबी मंत्रालय द्वारा जारी किए गए किसी भी अन्य निर्देशों में निर्धारित है। फिर भी, प्राधिकरण ने इन चैनलों के प्रसारण को विनियमित करने के लिए किसी भी संशोधन/ क्रियाविधि का सुझाव नहीं दिया था। मंत्रालय स्थानीय चैनलों को किसी भी विनियामक व्यवस्था के दायरे में नहीं लाया था,जिसके परिणामस्वरूप पंजीकरण/लाइसेंस लिए बिना इन चैनलों का पूरे देश में कुकुरमुत्तों की तरह उगना जारी है।

3. केबल अधिनियम केबल सेवा को "कार्यक्रमों का केबल के द्वारा प्रसारण, किन्हीं भी प्रसारण टेलीविजन संकेतों का केबल के द्वारा पुनःप्रसारण सहित" के रूप में परिभाषित करता है। इस प्रकार, केबल परिचालक/ एमएसओ विभिन्न प्रसारकों से प्राप्त की उपग्रह टीवी चैनलों के अलावा, उनके नेटवर्क पर स्थानीय समाचारों, वीडियो, और अन्य स्थानीय स्तर पर विकसित की गई सामग्री का प्रसारण अलग टीवी चैनलों के रूप में कर रहे हैं। केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम, 1994 का नियम 6(6) यह प्रावधान करता है कि कोई भी केबल परिचालक किसी भी ऐसे टीवी प्रसारण या चैनल को अपने केबल सेवा में नहीं ले जाएगा या सम्मिलित नहीं करेगा, जिसे भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर देखे जाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं किया गया है। फिर भी, शब्द "चैनल" या "टेलीविजन प्रसारण" को ना ही केबल अधिनियम में या ना ही केबल नियमों में परिभाषित नहीं किया गया है। स्थानीय चैनलों ने इसलिए किसी भी पंजीकरण को प्राप्त किए बिना काम करना जारी रखा है।

4. केबल अधिनियम, उन क्षेत्र/अधिकार क्षेत्र पर भी मूक है, जिसके भीतर केबल परिचालकों के स्तर पर उत्पन्न किए गए कार्यक्रम को प्रसारित किया जा सकता है। इसलिए स्थानीय स्तर पर परिचालन करने वाले एलसीओ/ एमएसओ के लिए उसी सामग्री का प्रसारण अपने पूरे नेटवर्क पर करके, स्थानीय चैनलों का प्रसारण एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में अर्थात क्षेत्रीय/ राज्य/ राष्ट्रीय स्तर पर करना संभव है। उदाहरणों को मंत्रालय के ध्यान में लाया गया है कि कुछ केबल परिचालक उसी सामग्री को उनके नेटवर्क पर अन्य लोगों के साथ साझा करके स्थानीय चैनलों का प्रसारण व्यापक भौगोलिक क्षेत्र, जिसमें अंतर–राज्यीय और अंतः–राज्यीय प्रसारण सम्मिलित है, में करने का दुस्साहस भी कर रहे हैं। ऐसे किसी परिदृश्य में, स्थानीय चैनल मूल रूप से किसी भी अनुमति को पाए बिना, अनुमतिप्राप्त निजी उपग्रह टीवी चैनलों की तरह राज्य/ क्षेत्रीय/ राष्ट्रीय चैनलों के रूप में परिचालित कर रहे हैं। केबल परिचालकों को स्थानीय कार्यक्रम उत्पन्न और प्रसारित करने की अनुमति देने की मंशा स्थानीय लोगों को प्रासंगिक स्थानीय मुद्दों के बारे में सूचित रखने की है। फिर भी, यह मंशा पूरी नहीं होती है जब एलसीओ और एमएसओएस सामग्री की एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र को कवर करने के लिए नेटवर्क करना प्रारम्भ करते हैं। तकनीकी उन्नति की वर्तमान स्थिति को देखते हुए, एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र पर सामग्री को नेटवर्क करने की प्रवृत्ति मज़बूत हुई है।

5. सभी उपग्रह टीवी चैनल विद्यमान दिशा निर्देशों के अधीन नियमों और विनियमों के द्वारा शासित हैं जबकि ऐसे कोई भी विनियमों स्थानीय चैनलों पर लागू नहीं हैं। जबकि निजी उपग्रह टीवी चैनल को परिचालित करने की अनुमति केवल कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन पंजीकृत कंपनियों को दी जाती है, वहीं पर किसी स्थानीय चैनल को किसी केबल परिचालक/ एमएसओ द्वारा चलाया जा सकता है जो, केबल अधिनियम के अधीन परिभाषा के अनुसार, एक एकल व्यक्ति या व्यक्तियों का एक संघ या व्यक्तियों का निकाय, चाहे निगमित हो या न हो या कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन पंजीकृत कोई कंपनी हो सकता है । सैटेलाइट टीवी चैनलों को निवल मूल्य मानदंडों को पूरा करना पड़ता है, शुल्कों का भुगतान करना होता है और भारत में उनके परिचालनों को जारी रखने की अनुमति की पूरी अवधि के दौरान पात्रता की अन्य शर्तों का अनुपालन करना पड़ता है। फिर भी, ऐसे कोई भी मापदंड या शुल्क स्थानीय चैनलों के लिए आवश्यक नहीं हैं।

6. उपग्रह समाचार और समसामयिक मामलों के टीवी चैनलों के मामले में, कंपनी में पोर्टफोलियो और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सहित, कुल प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश आवेदन के समय और अनुमति की अवधि के दौरान 26 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। सरकारी पथ के माध्यम से, मामले की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए, विदेशी निवेश की सीमाओं को निजी उपग्रह समाचार चैनलों में 26 प्रतिशत पर रखा गया है।

7. भारत सरकार के संशोधित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नियमों के अधीन, कंपनी अधिनियम के अधीन पंजीकृत एमएसओ स्वचालित पथ के अधीन 49 प्रतिशत के साथ 74 प्रतिशत तक की विदेशी निवेश की सीमाओं तक पहुँच सकते हैं। यदि ऐसे एमएसओ स्थानीय समाचार चैनलों को परिचालित करते हैं, तो एफ़डीआई की सीमाएँ, ऐसे मामलों में 26 प्रतिशत की स्वीकार्य सीमा से अधिक हो जाती हैं,जो एक विषम स्थिति तक ले जाता है जिसको संबोधित करने की आवश्यकता है। समान रूप से, जो एमएसओ गैर डीएएस क्षेत्रों में परिचालन कर रहे हैं और देश में कहीं भी (डीएएस और गैर डीएएस क्षेत्रों) परिचालन कर रहे एलसीओ किसी स्थानीय न्यूज चैनल को परिचालित कर सकते हैं और अभी भी स्वचालित मार्ग के अधीन 49 प्रतिशत तक की विदेशी निवेश की सीमा पा सकते हैं।

8. स्थानीय चैनलों के परिचालकों सुरक्षा मंजूरी की आवश्यकता भी नहीं है जो निजी उपग्रह टीवी चैनलों के विपरीत है, जहाँ सुरक्षा मंजूरी अनिवार्य है। इसके अलावा निजी उपग्रह टीवी चैनलों को कई अन्य मानदंडों और आवश्यकताओं का पालन करना पड़ता है जैसा अपलिंकिंग/डाउनलिंकिंग दिशा निर्देशों के अधीन अनिवार्य किया गया है,जो स्थानीय चैनलों को लागू नहीं है।

9. मंत्रालय वर्तमान में चरणबद्ध तरीके से पूरे देश भर में केबल टीवी के क्षेत्र में डिजिटल पता प्रणाली (डीएएस) को लागू कर रहा है। डीएएस शासन में, केवल कूटबद्ध चैनलों को केबल सेवा में प्रेषित किया जा सकता है। चैनलों के कूट का निर्माण करने के लिए सुविधा को केवल एमएसओ के द्वारा किया जा सकता है। ऐसे किसी परिदृश्य में यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि किसी स्थानीय चैनल को किसी स्थानीय केबल परिचालक के माध्यम से डीएएस शासन में प्रेषित कैसे किया जा सकता है।

10. उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में, प्राधिकरण केबल परिचालकों/ एमएसओ के द्वारा स्थानीय चैनलों या भूमि आधारित चैनलों के प्रसारण के पूरे पहलू पर नज़र डाल सकता है और अनुशंसा कर सकता है कि निम्नलिखित मुद्दों सहित ऊपर उल्लिखित चिंताओं को दूर करने के लिए, क्या विद्यमान नियमों और विनियमों में किसी भी परिवर्तन को किए जाने की आवश्यकता है;

क. **"स्थानीय" या 'भूमि आधारित चैनलों"** की परिभाषा और परिचालन के उनके क्षेत्र सहित, स्थानीय चैनलों के लिए प्रावधानों के एक व्यापक समूह को स्थानापन्न करने की आवश्यकता? ऐसे चैनलों के लिए भौगोलिक क्षेत्र के मामले में सीमा और इसे कैसे परिचालित किया जाना चाहिए। भूमि आधारित चैनलों के लिए पंजीकरण प्राधिकरण कौन होना चाहिए? ऐसे चैनलों के लिए पात्रता आवश्यकताओं, शुल्क, नियम और शर्तों, आदि सहित किस प्रकार की पंजीकरण क्रियाविधि को प्रदान किया जाना है? पंजीकरण के नियम और शर्तों के उल्लंघन के मामले में की जाने वाली कार्रवाई, अपील के प्रावधानों सहित, को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जा सकता है? ऊपर की बातों में से प्रत्येक पर व्यापक अनुशंसाओं का अनुरोध है।

ख. प्राधिकरण ने अपनी अनुशंसाओ दिनांकित 25 जुलाई 2008 में, अन्य बातों के साथ अनुशंसा की थी कि स्थानीय केबल परिचालकों (एलसीओ) को उनके भूमि आधारित चैनलों को प्रेषित करने की अनुमति दी जाएगी। फिर भी डीएएस शासन में केवल डिजिटल एड्रेसेबल सिग्नलों को केबल नेटवर्क पर ले जाया जा सकता है जो एमएसओ के हेडएंड्स में उत्पन्न होता है। इसलिए एलसीओ डीएएस शासन में डिजिटल नेटवर्क के माध्यम से स्थानीय भूमि आधारित चैनलों को संचारित करने में सक्षम नहीं होंगे। तद्नुसार डीएएस शासन में एलसीओ स्तर पर भूमि आधारित चैनलों के प्रसारण के मुद्दे को संबोधित करने की आवश्यकता है।

ग. क्या किसी एकल एमएसओ/ केबल परिचालक द्वारा परिचालित किए गए भूमि आधारित चैनलों की कुल संख्या पर कोई कैप लगाने के लिए कोई मामला है? यदि हाँ, तो एक एमएसओ/ केबल परिचालक द्वारा कितने स्थानीय चैनलों को चलाए जाने की अनुमति दी जा सकती है?

घ. स्थानीय समाचार और समसामयिक मामलों के चैनलों का प्रसारण करने वाले केबल परिचालकों के लिए विदेशी निवेश के स्तरों, निवल मूल्य के मापदंडों, निदेशक मंडल की संरचना, जहां लागू हो, सुरक्षा मंजूरी की आवश्यकता आदि सहित, पात्रता मानदंडों, नियमों और शर्तों को निर्धारित करने की आवश्यकता।

ञ. निजी उपग्रह टीवी चैनलों की सामग्री पर केन्द्रीय निगरानी करने के लिए क्रियाविधियाँ हैं। फिर भी, ऐसी कोई भी क्रियाविधि स्थानीय चैनलों के मामले में स्थानापन्न नहीं है। इसलिए अनुशंसाओं को इस तरह के चैनलों पर सामग्री की निगरानी करने के लिए क्रियाविधि के सम्बन्ध में भी किया जा सकता है।

11. यह अनुरोध किया जाता है कि प्राधिकरण कृपया उपरोक्त मुद्दों पर विचार कर सकता है और ट्राई अधिनियम 1997 की धारा 11(1) (क) (ii) (iii) और (iv) के अधीन अपनी अनुशंसाए प्रस्तुत कर सकता है।

सादर,

भवदीय,

ह0/–

(उदय कुमार वर्मा)

श्री राहुल खुल्लर
अध्यक्ष,
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण,
महानगर दूरसंचार भवन,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, ओल्ड मिंटो रोड, नई दिल्ली।

अनुलग्नक–II

प्लेटफ़ॉर्म सेवाओं के लिए प्रासंगिक मौजूदा प्रावधान

एमएसओ

1. केबल टीवी अधिनियमों के अनुसार, "बहुल प्रणाली परिचालक" का अर्थ है एक केबल परिचालक जिसे नियम 11सी के अधीन पंजीकरण दिया गया है और जो किसी प्रोग्रामिंग सेवा को किसी प्रसारक या उसकी अधिकृत संस्थाओं से प्राप्त करता है और उसी को पुनःप्रेषित करता है या अपनी ही प्रोग्रामिंग सेवा को प्रेषित करता है, या तो बहुल ग्राहकों के द्वारा एक साथ रिसेप्शन के लिए सीधे या एक या फिर एक से अधिक स्थानीय केबल परिचालकों के माध्यम से और उसकी अधिकृत वितरण संस्थाओं को सम्मिलित करता है, जिस भी नाम से बुलाया जाए।
2. केबल अधिनियम केबल सेवा को "कार्यक्रमों का केबलों से प्रसारण, किसी भी प्रसारण टेलीविजन संकेतों के केबलों के द्वारा पुनःप्रसारण सहित" के रूप में परिभाषित करता है।
3. केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम, 1994 के नियम 6(6) के अनुसारः
   "कोई भी केबल परिचालक किसी भी ऐसे टीवी प्रसारण या चैनल को अपनी केबल सेवा में नहीं ले जाएगा या सम्मिलित नहीं करेगा, जिसे भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर देखे जाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं किया गया है..."।

आईपीटीवी दिशा निर्देश

4. इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन (आईपीटीवी) सेवाओं का प्रावधान करने के लिए दिशा निर्देशों के अनुसारः
   "... (vi) दूरसंचार लाइसेंसधारियों जब आईपीटीवी के माध्यम से टीवी चैनलों को उपलब्ध कराते हैं, तब केवल इस तरह के प्रसारण उपग्रह टेलीविजन चैनलों को सटीक रूप से उसी रूप में (अनछुए) प्रेषित करेंगे,जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ पंजीकृत या अन्यथा उनके द्वारा अनुमति प्राप्त हैं....

   (viii) आईपीटीवी उपलब्ध कराने वाले दूरसंचार सेवा प्रदाता केवल उन समाचार और समसामयिक मामलों के टेलीविजन चैनलों को दिखाएँगे,जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के साथ पंजीकृत किए गए हैं। वे समाचार और समसामयिक मामलों के किसी भी तत्व होने वाले किसी भी अन्य प्रसारण या गैर–प्रसारण चैनल का उत्पादन नहीं करेंगे या उपलब्ध नहीं कराएँगे।

   (ix) कार्यक्रम संहिता और विज्ञापन संहिता के प्रावधान, जैसा कि केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम 1995 और उसके अन्तर्गत के अधिनियमों में प्रावधान किया हुआ है, टेलीकॉम आईपीटीवी सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान किए गए प्रसारण से टी वी चैनल के अलावा अन्य सामग्रियों के मामले में भी लागू होंगे। क्योंकि यह दूरसंचार लाइसेंसधारी है,जो इस सामग्री को प्रदान कर रहा होगा, इसलिए, वह संहिता का इस तरह की सामग्री के साथ सम्बन्ध में अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा। इस के अलावा, इस तरह के लाइसेंसधारी सामग्रियों को विनियमित करने के लिए समय–समय पर केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए विभिन्न अधिनियमों, निर्देशों, दिशाओं, दिशा निर्देशों से भी बाध्य होंगे।

(x) यदि सामग्रियों को दूरसंचार सेवा प्रदाता के अलावा अन्य सामग्री प्रदाताओं से स्रोत किया जा रहा है, तो यह सुनिश्चित करना दूरसंचार सेवा प्रदाता की जिम्मेदारी होगी कि ऐसी सामग्री के प्रदाताओं के साथ उनके अनुबन्धों में सामग्री के बारे में कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताओं और अन्य प्रासंगिक भारतीय क़ानूनों, सिविल और आपराधिक" के साथ पहले से अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित धाराएं निहित हैं। "

एचआईटीएस दिशा निर्देश

5. भारत में हेडएंड्स–इन–द–स्काई (एचआईटीएस) प्रसारण सेवा उपलब्ध कराने के लिए दिशा निर्देशों के अनुसार भीः

"कोई भी अनुमति धारक किसी भी ऐसे टीवी प्रसारण या चैनल को अपनी एचआईटीएस सेवा में नहीं ले जाएगा या सम्मिलित नहीं करेगा,जिसे भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर देखे जाने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा पंजीकृत नहीं किया गया है। अनुमति धारक और प्रसारणकर्ता(ओं)/ टीवी चैनल के मालिक(कों) के बीच हुए किसी भी अनुबन्ध के होते हुए भी, अनुमति धारक टीवी चैनलों को अपनी एचआईटीएस सेवा में ले जाने/ सम्मिलित करने से रोकेगा, जब भी ऐसा पंजीकरण/ अनुमति वापस ली जाती है।"

डीटीएच लाइसेंस अनुबन्ध

6. डीटीएच लाइसेंस अनुबन्ध के प्रावधानों के अनुसारः

i. डीटीएच लाइसेंस अनुबन्ध की अनुसूची का अनुच्छेद 6.7 ".... कोई भी लाइसेंसधारी किसी भी ऐसे टीवी प्रसारण या चैनल को अपनी डीटीएच सेवा में नहीं ले जाएगा या सम्मिलित नहीं करेगा, जिसे भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर देखे जाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं किया गया है...."

ii. गैर–भेदभावपूर्ण पहुँच पर डीटीएच लाइसेंस अनुबन्ध का अनुच्छेद 7.6 कहता है ".... लाइसेंसधारी एक गैर–भेदभावपूर्ण आधार पर विभिन्न सामग्री प्रदाताओं/ चैनलों को पहुँच प्रदान करेगा...."।

iii. डीटीएच लाइसेंस अनुबन्ध की अनुसूची का अनुच्छेद 10 कहता है ".... डीटीएच सुविधा का उपयोग संचार के अन्य साधनों, ध्वनि, फैक्स, डेटा, संचार, इंटरनेट आदि सहित, के लिए नहीं किया जाएगा, जब तक कि इन मूल्य–वर्धित सेवाओं के लिए विशिष्ट लाइसेंस को सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त नहीं कर लिया गया है....." ।

iv. अनुच्छेद 5.1 भी स्थापित करता है कि कोई डीटीएच परिचालक समय समय पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा निर्धारित कार्यक्रम संहिता (पीसी) और विज्ञापन संहिता (एसी) के पालन को सुनिश्चित करेगा।

v. डीटीएच लाइसेंस अनुबन्ध का अनुच्छेद 1.4 क्रॉस होल्डिंग पर प्रतिबंध लगाता हैः "..... लाइसेंसधारी प्रसारण कंपनियों और/ या केबल नेटवर्क कंपनियों को लाइसेंस अवधि के दौरान किसी भी समय अपनी कंपनी में कुल चुकता इक्विटी के 20 प्रतिशत से अधिक सामूहिक रूप में रखने या इनका स्वामी होने की अनुमति नहीं देगा....." ।

vi. डीटीएच लाइसेंस अनुबन्ध का अनुच्छेद 1.5 निम्न तरीके से क्रॉस होल्डिंग पर प्रतिबंध भी लगाता हैः "..... लाइसेंसधारी कंपनी को किसी प्रसारण और/ या केबल नेटवर्क कंपनी में 20 प्रतिशत से अधिक इक्विटी शेयर नहीं रखने हैं या इनका स्वामी नहीं बनना है....."।